

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी, (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :- रामसुख गुर्जर RAS

राजस्व वाद संख्या ..... 182/12 .....

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

भगोही देवी पत्नी  
लक्ष्मणराम कुशवत  
डीराणी

गोपाल सिंह पुत्र  
रामरतन डीराणी

वाद पत्र धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :- 17/7/12

वादी के वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी श्री भगोही देवी पुत्र लक्ष्मणराम जाति डीराणी निवासी डीराणी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर का रहने वाला है, वादी का नाम ग्राम डीराणी के खाता संख्या/खसरा नम्बर 132 में श्री गोपाल पुत्र लक्ष्मणराम जाति डीराणी अंकित हो गया है, जो सही नहीं है। राशनकार्ड/ पहचान पत्र/ आधार कार्ड में सही नाम भगोही देवी पुत्र लक्ष्मणराम है, इसलिए उक्त खाता में गलत नाम हटाकर सही नाम का रेकार्ड में दुरुस्ती करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया। तहसीलदार कुचामनसिटी की रिपोर्ट संलग्न है। वादी ने अपने नाम का रेकार्ड में दुरुस्ती हेतु दस्तावेज पेश किये, जो शामिल मिसल किये। वादी के वाद पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन एवं मनन करने पर वादी का वाद काबिल स्वीकार होने से कैम्प में ही स्वीकार कर आदेश निम्न प्रकार पारित किया गया।

आदेश

ग्राम डीराणी तहसील कुचामनसिटी के खाता संख्या/खसरा नम्बर 132 में खातेदार वादी श्री गोपाल पुत्र लक्ष्मणराम निवासी डीराणी की जगह वादी का सही नाम भगोही देवी पुत्र लक्ष्मणराम जाति डीराणी निवासी डीराणी दुरुस्त किया जाता है, शेष खाता बदस्तूर रहेगा। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो, मिसल नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/7/12 को सरे आम कैम्प में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी (नागौर)